न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम.एल. चौहान, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 97 / 2018 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती गीता बाई बेवा केशुलाल जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. दिपलाल पिता केशुलाल जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्यामलाल पिता केशुलाल जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. निलेश पिता केशुलाल जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. उमेश पिता केशुलाल जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती राधा (पिता केशुलाल जी) पत्नी भगवतीलाल जी ब्राहमण, निवासी मागथला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रामचन्द्र पिता जगन्नाथ जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. राकेश पिता जगन्नाथ जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. मु. भानु बाई बेवा जगन्नाथ जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती गंगा (पिता जगन्नाथ जी) पत्नी प्रकाशचन्द्र जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती प्रेमा (पिता जगन्नाथ जी) पत्नी हरिशंकर जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. मदन पिता दुर्गाशंकर जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

7. सुरेश पिता दुर्गाशंकर जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

8. देवीलाल पिता दुर्गाशंकर जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

9. तुलसीराम पिता दुर्गाशंकर जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

10. श्रीमती पारी (पिता दुर्गाशंकर जी) पत्नी चन्द्रकान्त ब्राहमण, निवासी नमाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

11. श्रीमती नर्बदा (पिता दुर्गाशंकर जी) पत्नी राकेश ब्राहमण, निवासी रामा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

12. श्रीमती कैलाशी (पिता दुर्गाशंकर जी) पत्नी कंकुलाल ब्राहमण, निवासी नुरडा, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

13. श्रीमती बेनू (पिता दुर्गाशंकर जी) पत्नी मिथेश ब्राहमण, निवासी गुडली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

14. श्रीमती धर्मवती (पिता दुर्गाशंकर जी) पत्नी मोहन ब्राहमण, निवासी बामणहेडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

15. श्रीमती नयना (पिता दुर्गाशंकर जी) पत्नी पप्पुलाल ब्राहमण, निवासी करोली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

16. भंवरलाल पिता हरनाथ जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

17. भज्जा पिता केशा जी डांगी मृतक के बजाय :–

17/1. मु. सकीबाई बेवा धर्मा जी डांगी, निवासी सोनलाई, खरवड़ों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

17/2. सुश्री जीकु पिता धर्मा जी डांगी, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सकीबाई बेवा धर्मा जी डांगी, निवासी सोनलाई, खरवड़ों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

17/3. सुश्री शान्ती पिता धर्मा जी डांगी, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सकीबाई बेवा धर्मा जी डांगी, निवासी सोनलाई, खरवड़ों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

17/4. सुश्री गीता पिता धर्मा जी डांगी, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सकीबाई बेवा धर्मा जी डांगी, निवासी सोनलाई, खरवड़ों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

17/5. सुश्री सलादी पिता धर्मा जी डांगी, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सकीबाई बेवा धर्मा जी डांगी, निवासी सोनलाई, खरवड़ों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

17/6. निलेश जीकु पिता धर्मा जी डांगी, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सकीबाई बेवा धर्मा जी डांगी, निवासी सोनलाई, खरवड़ों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

18. अमरा पिता केशा जी डांगी, निवासी सोनलाई, खरवड़ों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

19. नवला पिता केशा जी डांगी, निवासी सोनलाई, खरवड़ों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

(2) <u>प्रकरण संख्या 98/2018 (उदयपुर डिक्री)</u>

1. श्रीमती गीता बाई बेवा केशुलाल जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. दिपलाल पिता केशुलाल जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्यामलाल पिता केशुलाल जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. निलेश पिता केशुलाल जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. उमेश पिता केशुलाल जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

6. श्रीमती राधा (पिता केशुलाल जी) पत्नी भगवतीलाल जी ब्राहमण, निवासी मागथला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रामचन्द्र पिता जगन्नाथ जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. राकेश पिता जगन्नाथ जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. मु. भानु बाई बेवा जगन्नाथ जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती गंगा (पिता जगन्नाथ जी) पत्नी प्रकाशचन्द्र जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती प्रेमा (पिता जगन्नाथ जी) पत्नी हरिशंकर जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. मदन पिता दुर्गाशंकर जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. सुरेश पिता दुर्गाशंकर जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. देवीलाल पिता दुर्गाशंकर जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
9. तुलसीराम पिता दुर्गाशंकर जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती पारी (पिता दुर्गाशंकर जी) पत्नी चन्द्रकान्त ब्राहमण, निवासी नमाणा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
11. श्रीमती नर्बदा (पिता दुर्गाशंकर जी) पत्नी राकेश ब्राहमण, निवासी रामा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती कैलाशी (पिता दुर्गाशंकर जी) पत्नी कंकुलाल ब्राहमण, निवासी नुरडा, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

13. श्रीमती बेनू (पिता दुर्गाशंकर जी) पत्नी मिथेश ब्राहमण, निवासी गुडली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

14. श्रीमती धर्मवती (पिता दुर्गाशंकर जी) पत्नी मोहन ब्राहमण, निवासी बामणहेडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

15. श्रीमती नयना (पिता दुर्गाशंकर जी) पत्नी पप्पुलाल ब्राहमण, निवासी करोली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

16. भंवरलाल पिता हरनाथ जी ब्राहमण, निवासी माणकावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

17. भज्जा पिता केशा जी डांगी मृतक के बजाय :–

17/1. मु. सकीबाई बेवा धर्मा जी डांगी, निवासी सोनलाई, खरवड़ों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

17/2. सुश्री जीकु पिता धर्मा जी डांगी, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सकीबाई बेवा धर्मा जी डांगी, निवासी सोनलाई, खरवड़ों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

17/3. सुश्री शान्ती पिता धर्मा जी डांगी, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सकीबाई बेवा धर्मा जी डांगी, निवासी सोनलाई, खरवड़ों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

17/4. सुश्री गीता पिता धर्मा जी डांगी, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सकीबाई बेवा धर्मा जी डांगी, निवासी सोनलाई, खरवड़ों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

17/5. सुश्री सलादी पिता धर्मा जी डांगी, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सकीबाई बेवा धर्मा जी डांगी, निवासी सोनलाई, खरवड़ों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

17/6. निलेश जीकु पिता धर्मा जी डांगी, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सकीबाई बेवा धर्मा जी डांगी, निवासी सोनलाई, खरवड़ों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

18. अमरा पिता केशा जी डांगी, निवासी सोनलाई, खरवड़ों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

19. नवला पिता केशा जी डांगी, निवासी सोनलाई, खरवड़ों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, मावली प्रकरण
सं॰ 143/05 प्रा॰डिक्री दि0 28.01.13
एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.10.17

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री काशीराम मेघवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि.रे.सं. 20

———:::———

निर्णय **दिनांक 13–01–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी केसुलाल व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नंबर 944, 945, 947, 948 व 949 कुल किता 5 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा भूमि राजस्व ग्राम खाम की मादडी में स्थित होकर उक्त भूमियों में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 2/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 का 1/5 हिस्सा है। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 2 में राजस्व ग्राम खाम की मादडी में स्थित आराजी नंबर 950 से 957 एवं 962 कुल किता 9 रकबा 30 बीघा भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा होकर पक्षकारान इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण विवाद उत्पन्न होता है। अतः उपरोक्तानुसार पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा विशेष कथन में निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में

वर्णित आराजियात 11 बीघा 19 बिस्वा में वादीगण का कोई कब्जा नहीं है, न रेकार्ड में अन्य लोगों का नाम है इसलिए उक्त आराजी नंबर 944, 945, 947, 948 व 949 कुल किता 5 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20–04–2006 को कुल 4 तनकियात कायम की जाकर दिनांक 28–01–2013 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया तथा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 11–10–2017 को अंतिम डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28–01–2013 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 98/2018 व अंतिम डिक्री दिनांक 11–10–2017 के विरूद्ध अपील संख्या 97/2018 इस न्यायालय में दिनांक 02–11–2018 को प्रस्तुत की गयी हैं।

दोनों अपीलों के साथ अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा श्री मीठालाल जैन को अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था, जिन्होंने उन्हें हर पेशी पर नहीं आने की हिदायत दे रखी थी एवं जरूरत पड़ने पर सूचना देने को कहा था, लेकिन दिनांक 30–10–2010 को उनकी मुत्य हो गयी, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को नहीं थी। अभी हाल ही में दिनांक 12–10–2018 को अपीलान्ट को पटवारी हल्का के माध्यम से जानकारी हुई। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली पर मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत उक्त दोनों अपीलों की मयाद कण्डोन की जाकर अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

उक्त दोनों अपीलों में पक्षकारान एवं विषय वस्तु समान होकर दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 143/2005 में पारित

प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अतः दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री काशीराम मेघवाल उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 20 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त किया गया था, लेकिन बंटवाड़ा सूची भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना तनकियात साबित हुए वादीगण का वाद डिक्री कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउण्टर क्लेम निरस्त कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है। विवादित भूमि केशुलाल व दुर्गाशंकर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी है, तब से उनका कब्जा चला आ रहा है। बिकावनामें में जगन्नाथ का नाम भी अंकित हैं, किन्तु उनके द्वारा कोई प्रतिफल की राशि अदा नहीं की गयी व उन्होंने हिस्सा रखने से मना कर दिया, जिससे जगन्नाथ का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री करने एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउण्टर क्लेम खारिज करने में भारी भूल की है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री अपास्त की जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जहां तक अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 97/2018 का प्रश्न है, प्रारम्भिक डिक्री की पालना में जो फर्द बंटवाड़ा तैयार किया गया है वह तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार

किया गया है, जबकि बंटवारा कमिश्नर तहसीलदार को नियुक्त किया गया था एवं नवीनतम न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689 अनुसार तहसीलदार स्वयं द्वारा फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाना चाहिए। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

जहां तक प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 98/2018 का प्रश्न है, हालांकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन किया गया है एवं राजस्व रेकार्ड में भी वादीगण सहखातेदार दर्ज है, किन्तु कब्जे बाबत् उनकी ओर से कोई स्वतंत्र गवाह या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं गयी है, मात्र वादिया भानू बाई के बयान करवाये गये हैं, जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से डी.डब्ल्यू. 1 से डी.डब्ल्यू. 3 ने बयानों में वादिया के वाद को अस्वीकार किया है तथा जिरह में भी उनके बयानों का खण्डन नहीं हुआ है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री भी प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

उपरोक्तानुसार उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28–01–2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11–10–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण में कायम शुदा तनकियात पर पुनः पक्षकारों की साक्ष्य लेकर एवं सुनकर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी करें तत्पश्चात प्रारम्भिक डिक्री की पालना में स्वयं तहसीलदार मावली मौके पर जाकर पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवाड़ा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें एवं अधिनस्थ न्यायालय प्राप्त फर्द बंटवाड़े पर यह यदि पक्षकारान की किसी प्रकार की आपत्तियां हैं तो उन आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम डिक्री जारी करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13–03–2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 13–01–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.02.17 13:21:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: